

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्या –252/XXII/2005–1(20)2005
सचिवालय, देहरादून
दिनांक: 03 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल डा. आर.एस.टोलिया को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।
2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन डा. टोलिया के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
 3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अनुरूप डा. टोलिया द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष के लिये होगी।
 4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डी.के.कोटिया)
सचिव

संख्या : XXIII/2005 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यहवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. महानिबन्धक, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
11. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
16. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड ख में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डी.के.कोटिया)
सचिव